न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

बलराम पुत्र देवीलाल जाति गोस्वामी निवासी–ग्राम गुल्फनी तहसील पोहरी हाल निवासी–वार्ड न. 17, आई.डी.बी.पी. गेट के सामने, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

---- निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

1. महिला गुलाब बाई पत्नी रामजीलाल चिडार
2. रामजीलाल पुत्र अमरलाल चिडार निवासीगण ग्राम चांदपुर परगना पोहरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

---- अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 07-06-2017 में पारित प्रकरण क्रमांक 12/2016-17 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय पोहरी जिला शिवपुरी

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य :–

1– यह कि, भूमि सर्वे क्रमांक 421 जिसका नया 723/1 रकबा 2.00 हेक्टेयर स्थित ग्राम चांदपुर तहसील पोहरी जिला शिवपुरी, पर तहसीलदार पोहरी द्वारा म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के तहत आवेदक को 02-10-1984 के पूर्व से कब्जा होने के आधार पर एवं अधिनियम में वर्णित शर्तों के अंतर्गत पात्र पाते हुए एवं विधि में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए दिनांक 20-07-1990 को प्रकरण क्रमांक 31/1989-90/अ-19(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-एक/निग./शिवपुरी/भू.रा./2017/2222

बलराम विरूद्ध महिला गुलाब बाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पोहरी, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक- 12/2016-17/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 07/06/17 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	